15-11-17 पत्रावली पेश हुई। बमुलाजम पक्षकार उपस्थित। वाले सुनवाई प्रारम्भ चाहते है अतः पत्रावली दिनांक 27-11-17 को पेश हो।

ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Jndl.)
JAIPUR

27-11-17 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर का पत्रांक 3731 दिनांक 27-11-17 प्रस्तुत हुआ। शामिल मिसल हो।

आपत्ति को सुना गया। प्रार्थी पक्ष का कथन है कि एस०बी० सिविल रिट पिटीशन सं० 10581/2012 केप्टन मोहिन्दर कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में सुनवाई प्रक्रियाधीन है और अधिवक्ता के द्वारा स्टे निरस्त करवाने हेतु बहस की जानी है। सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं है। अतः प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दी जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छिपाकर परिवाद प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में आवास को रिक्त कराने जाने हेतु नोटिस दिया गया था जिसके विरुद्ध अप्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त की है। प्रार्थी द्वारा स्थगन को वेकेट कराने जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिये जाने के फलस्वरूप आज भी स्थगन आदेश है। प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने जवाब में स्थगन होना स्वीकार किया है।

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

सम्पदा प्र0सं0 10 / 2017 सरकार बनाम कैप्टन मोहिन्दर कुमार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अतः स्थगन आज्ञा होने के बावजूद परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो अवैध होने से ड्रोप फरमाया जावें। हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। बरवक्त बहस अप्रार्थी ने कथन किया है कि आवास खाली कराये जाने के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आज्ञा प्राप्त है। अप्रार्थी के कथन की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल फोटोस्टेट निर्णय दिनांक 3-9-2012 बामिसल एस0बी0सिविल मिसलेनियस 2nd स्टे एप्लीकेशन नं0 10745/2012 In एस0बी0सिविल रिट पिटीशन नं0 10581/2012 से होती है। प्रार्थी द्वारा अपने जवाब दिनांक 13-11-2017 में भी स्थगन होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रकरण को बिना परीक्षण किये स्थगन आज्ञा होने के बावजूद आवास खाली कराये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थगन आज्ञा होने से अवैध है, और ऐसे परिवाद पर विचार किया जाना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः उक्त विवेचनानुसार परिवाद प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण ड्रोप किया जाता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार उभय पक्ष कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर व दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 27-11-2017 को जेरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) *ESTATE OFFICER* (Addl. District Magistrate Judl.) JAIPUR	